विभाग द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	दिये जाने वाले लाभ का विवरण
1	अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत खपत पर छूट।	➢ अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 25 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत पर छूट देने का प्रावधान। ➢ प्रति उपभोक्ता प्रति माह छूट की राशि 72.50 रूपये।
2	अनुसूचित जाति/जनजाति के पंप धारक कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय।	➢ योजना में 1 हेक्टेयर तक भूमि वाले 5 अश्वशक्ति तक के कृषि पंप उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय का लाभ दिया जाता है। 5 हार्सपावर पंप उपभोक्ता का वर्ष में औसतन लगभग 34 हजार रूपये का बिल आता है। हितग्राही किसान को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की जाती है। इस 34 हजार की राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की जाती है। ➢ उपरोक्त घरेलू एवं पंप कनेक्शन हेतु निःशुल्क विद्युत प्रदाय के एवज में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1280 करोड रूपये की सब्सिडी राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराई गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2460 करोड रूपये उपलब्ध कराए गए है ➢ वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2440 करोड रूपये की राशि प्रावधानित है।
3	फ्लेट रेट योजना।	➢ स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिये फ्लेट रेट आधारित बिलिंग योजना दिनांक 1.4.2013 से लागू की गयी है। योजना अंतर्गत किसानों को वर्ष में दो बार, छःमाही समान किश्तों में 1400 रूपये प्रति हार्सपावर वार्षिक बिजली का बिल देय है तथा शेष राशि का वहन राज्यशासन द्वारा किया जाता है। ➢ 5 अश्वशक्ति भार वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये लगभग रूपये 34 हजार के बिल में से किसान को मात्र 7000 रूपये की राशि देय होती है तथा शेष राशि रूपये 27000 राज्य शासन द्वारा वहन की जाती है। ➢ राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में 3200 करोड़ रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 4258 करोड रूपये की सब्सिडी प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस मद में राशि 4390 करोड़ रूपये प्रावधानित है।
4	लाईफ लाईन उपभोक्ता को टैरिफ सब्सिडी।	➢ 100 वॉट तक के भार वाले 30 यूनिट तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 90 पैसे की छूट राज्य शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। इस तरह 30 यूनिट के उपयोग पर मासिक 27 रूपये की छूट दी जाती है।
5	कृषक समृद्धि योजना।	➢ कृषि उपभोक्ताओं पर दिनांक 28.2.2013 की स्थिति में बकाया राशि के निराकरण हेतु राज्यशासन द्वारा कृषक समृद्धि योजना लागू की गयी । योजनान्तर्गत सरचार्ज की संपूर्ण राशि वितरण कंपनियों द्वारा माफ की गयी तथा मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत किसान द्वारा जमा करने पर समान राशि राज्यशासन द्वारा वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में दी जा रही है। ➢ इस योजना मे किसानों को अधिकतम 10 समान 6 माही किश्तों में बकाया राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>योजना का नाम</th><th>दिये जाने वाले लाभ का विवरण</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

योजना के अंतर्गत दिनांक 30.09.2016 तक राज्यशासन द्वारा 491 करोड़ रूपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गयी है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस मद में 50.50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

</td></tr>
<tr><td>6</td><td>स्थायी कृषि पंप की योजना</td><td>

किसानों द्वारा स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए "Own Your Transformer" योजना लागू की गई है।
"मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना" लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अस्थायी कृषि पंपों को स्थायी पंपों में परिवर्तित किया जाता है तथा नए स्थायी पंप कनेक्शन भी प्रदान किए जाते है। इस योजना में शामिल होने वाले किसान द्वारा निम्नानुसार अंशदान की राशि कनेक्शन लेने हेतु देय है, जिसमें अधोसंरचना के कार्य शामिल है:-

<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">लघु एवं सीमान्त कृषक (2 हेक्टेयर से कम के भूमिधारक)</th><th rowspan="2">2 हेक्टेयर तथा अधिक भूमिधारक कृषक</th></tr>
<tr><th>अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक</th><th>अन्य</th></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>5000</td><td>7000</td><td>11000</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>5500</td><td>7500</td><td>12000</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>6000</td><td>8000</td><td>13000</td></tr>
</table>
अधोसंरचना के कार्य में रूपये 1.50 लाख से अधिक खर्च होने पर भी यह राशि योजना से ली जाती है। किसान द्वारा स्थाई नवीन पंप कनेक्शन हेतु नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत कनेक्शन चार्जेस तथा सुरक्षा निधि के रूप में अतिरिक्त राशि जमा करने का भी प्रावधान है।
</td></tr>
</table>